कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक-04.03.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मुकदमे से सम्बन्धित 08 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा।

थाना कैण्ट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0- 1168/2019 धारा 147,148,149, 504,506,302,307,386,120बी भा.द.वि. व 7 सीएलए एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. रवि पटेल पुत्र जय प्रकाश पटेल निवासी हाशिमपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी, 2. श्री प्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पण्डित पुत्र नन्दलाल मिश्रा निवासी झोरी थाना बलुआ जनपद चन्दौली, 3. नीरज उर्फ टुनटुन पटेल पुत्र प्रभू पटेल निवासी आशे हासिमपुर रामदत्तपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी, 4.राकेश कुमार विश्वकर्मा उर्फ मोनू पुत्र श्रीनाथ विश्वकर्मा निवासी मढ़वा थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी, 5. संजय पटेल पुत्र रामजीत पटेल निवासी बनवारीपुर लमही थाना चोलापुर जनपद वाराणसी, 6.शैलेश पटेल पुत्र मथुरा पटेल निवासी आशे हासिमपुर रामदत्तपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी, 7. दीपक पटेल उर्फ दीपू पुत्र स्व0 प्रेम कुमार सिंह निवासी रामदत्तपुर हासिमपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी व 8. दीपक राजभर उर्फ मान्या पुत्र विजय राजभर निवासी ग्राम सोयेपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक कैण्ट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय ACC-I, जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए उपरोक्त अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 86500/- रू0 (प्रत्येक अभियुक्त) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अभियुक्तगण रवि पटेल व श्री प्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पण्डित उपरोक्त को 3/25 आर्म्स एक्ट में प्रत्येक को 05-05 वर्ष कारावास व 10-10 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।